

श्री. गे. गंगुला,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

श्री. माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विभाग नं. 2 तन्हाय तन्हा,
मिर्जापुर जिला।

दिनांक 17/1/1992

ल.सं.क: वि.सं.क: 7 दिनांक, 1995

विषय:-

श्री. माध्यमिक शिक्षा परिषद, मिर्जापुर जिला के माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनुदान प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह रहने का निर्देश हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली के माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

11. विद्यालय की पूनीकृत सोहाइली का समय तम पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
12. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
13. विद्यालय में कमी कम क्षमता प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित हल्क से अधिक हल्क नहीं किया जायेगा।
14. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वार्षिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संस्था केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोतिल फार दि इंडियन स्कूल तदी क्विड हपजा मिलेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उसे परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
15. संस्था अधिक एवं शिक्षित कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वर्गों तथा अन्य वर्गों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
16. कर्मचारियों की सेवा भी कायी जायेगी और उन्हें अन्य लाभ प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से प्राप्त नहों।

Mrs. REKHA TEKAD
Principi
Maharishi Vidya Mandir
C.B.S.L. Affiliated
KANPUR

171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

181 विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रपत्र/परिभाषाओं में रखा जायेगा।

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के प्रावधानों के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि संस्था का निजी माल स्वयंसेवक तथा समय-समय पर को सुरक्षित किया जायगा।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या अनियमितता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

अशोक गांगुली
उप सचिव।

पुस्तक संख्या 116111/15-7-1995 तदतिनांक
=====

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, कानपुर।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेजी भारतीय विद्यालय 3090 लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, महर्षि विद्या मन्दिर विद्वानगर कानपुर।

अज्ञात से,

Signature

अशोक गांगुली
उप सचिव।

Signature
Mrs REKHA TEKADE
Principal
Maharishi Vidya Mandir
C.B.S.E. Affiliated
KANPUR